# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 472 सन 2022

अनवान :–

1. तिजा पत्नी शिशपाल जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सतवीर पुत्र ताराचन्द जाति धानक निवासी ललानबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 08/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 113/112 की कुल 4.8560हैक भूमि में वादीया का 1/50 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 2/25 हिस्सा , तथा खाता संख्या 112/111 की कुल 10.7480हैक में वादीया का 1/25 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 4/25 हिस्सा व ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 268/127 की कुल 10.2940हैक भूमि में वादीया का 1/50 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 2/25 हिसस भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में ताराचन्द पुत्र रामजस के नाम से दर्ज थी ताराचन्द पुत्र रामजस के देहान्त होने पर वाद भूमि निराणी पत्नी ताराचन्द व ताराचन्द की दो पुत्रिया राजबाला व रामप्यारी व पुत्र सतवरी , शिशपाल के नाम से दर्ज हुई निराणी पत्नी ताराचन्द एवं रामप्यारी एव राजबाला पुत्रीया ताराचन्द ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई /पुत्र सतवरी एव शिशपाल के पक्ष में किया गया किन्तु सहवन से सतवीर अकेले के नाम दर्ज हो गई तथा शिशपाल का भी देहान्त हो गया जिसकी वारिस उसकी पत्नी है शिशपाल की भूमि उसकी पत्नी कमला के नाम दर्ज हो गई।

सतवीर एव शिशपाल की बहने राजबाला एव रामप्यारी एव माता निराणी ने अपने हक हिस्सा की भूमि सतवीर एव शिशपाल के नाम बराबर त्याग किया गया था इसलिये उनके हक हिस्सा की भूमि दोनो के नाम दर्ज होनी चाहिये थी शिशपाल के देहान्त होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि वादीया पाने की अधिकारी है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ज्यादा दर्ज हुई भूमि को वादीया अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि मे से वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि जो राजबाला , रामप्यारी एव शिशपाल ने शिशपाल के पक्ष में त्याग की गई थी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पूर्वज ताराचन्द के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके वारिसान पत्नी निराणी पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 , शिशपाल एव पुत्रीया रामप्यारी , राजबाला के नाम से दर्ज हुई थी निराणी एव राजबाला रामप्यारी ने अपने हक

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एव शिशपाल के पक्ष में त्याग किया गया था किन्तु सहवन से त्याग की गई भूमि केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई प्रतिवादी संख्या 1 का भाई शिशपाल का देहान्त हो चुका है जिसकी वारिस उसकी पत्नी है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से उसकी बहनो /माता के द्वर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सहवन से अधिक दर्ज हुई भूमि वादीया के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकर का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 113/112 की कुल 4.8560हैक्ट भूमि में वादीया का 1/50 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 2/25 हिस्सा , तथा खाता संख्या 112/111 की कुल 10.7480हैक्ट में वादीया का 1/25 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 4/25 हिस्सा व ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 268/127 की कुल 10.2940हैक्ट भूमि में वादीया का 1/50 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 2/25 हिसस भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में ताराचन्द पुत्र रामजस के नाम से दर्ज थी ताराचन्द पुत्र रामजस के देहान्त होने पर वाद भूमि निराणी पत्नी ताराचन्द व ताराचन्द की दो पुत्रिया राजबाला व रामप्यारी व पुत्र सतवरी , शिशपाल के नाम से दर्ज हुई निराणी पत्नी ताराचन्द एवं रामप्यारी एव राजबाला पुत्रीया ताराचन्द ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई /पुत्र सतवरी एव शिशपाल के पक्ष में किया गया किन्तु सहवन से सतवीर अकेले के नाम दर्ज हो गई तथा शिशपाल का भी देहान्त हो गया जिसकी वारिस उसकी पत्नी है शिशपाल की भूमि उसकी पत्नी कमला के नाम दर्ज हो गई।

सतवीर एव शिशपाल की बहने राजबाला एव रामप्यारी एव माता निराणी ने अपने हक हिस्सा की भूमि सतवीर एव शिशपाल के नाम बराबर त्याग किया गया था इसलिये उनके हक हिस्सा की भूमि दोनो के नाम दर्ज होनी चाहिये थी शिशपाल के देहान्त होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि वादीया पाने की अधिकारी है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ज्यादा दर्ज हुई भूमि को वादीया अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 113/112 की कुल 4.8560हैक्ट भूमि में वादीया का 1/50 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 2/25 हिस्सा , तथा खाता संख्या 112/111 की कुल 10.7480हैक्ट में वादीया का 1/25 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 4/25 हिस्सा व ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 268/127 की कुल 10.2940हैक्ट भूमि में वादीया का 1/50 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 2/25 हिसस भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उसके पूर्वज ताराचन्द के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके वारिसान पत्नी निराणी पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 , शिशपाल एव पुत्रीया रामप्यारी , राजबाला के नाम से दर्ज हुई थी निराणी एव राजबाला रामप्यारी ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एव शिशपाल के पक्ष में त्याग किया गया था किन्तु सहवन से त्याग की गई भूमि केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई प्रतिवादी संख्या 1 का भाई शिशपाल का देहान्त हो चुका है जिसकी वारिस उसकी पत्नी है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से उसकी बहनो /माता के द्वर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादीया के हक हिस्सा की भूमि उसके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 113/112 की कुल 4.8560हैक भूमि में वादीया का व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/20 ,1/20 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 112/111 की कुल 10.7480हैक भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/10 1/10 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 268/127 की कुल 10.2940हैक भूमि में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/20 ,1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. तिजा पत्नी शिशपाल जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सतवीर पुत्र ताराचन्द जाति धानक निवासी ललानबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 472 सन 2022 निर्णय दिनांक–** 08/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 113/112 की कुल 4.8560हैक भूमि में वादीया का व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/20 ,1/20 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 112/111 की कुल 10.7480हैक भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/10 1/10 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 268/127 की कुल 10.2940हैक भूमि में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/20 ,1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner